

2025/436

निर्णय
04.7.2025

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
रणबीर बनाम सतपाल आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 315 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
17.06.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 23.06.2025 को पेश हो।	
23-6-2025	<p style="text-align: center;">म. न. रा. ब. क. उपास्थान/PU म. न. रा. ब. क. उपास्थान</p> <p>पेश किया गया। पत्रावली के द्वारा वादी ने पेश किया।</p> <p>दिनांक 23.06.2025</p>	
24.6.2025	<p>वकील वादी ने प्रार्थना- पत्र मिलात पेशी पेश करने पर प्रजावली को पेशी में लिपा गया।</p> <p>वकुलार फरिस्टेन उपस्थित। कर्षी व प्रजावली के। 32 ने दाखिल अदालत आकर राणीनामा पेश किया जिसे जाड लक्ष्मीक दाखिल कारील किया गया। प्रजावली वाले केले उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मीक 04.7.2025 को पेश हो।</p>	<p>रणवीर J. by me Ashtol</p> <p>सतपाल</p>
04.7.2025	<p>वकुलार फरिस्टेन उपस्थित। केले उपखण्ड आकर प्रजावली पेशी गरी प्रजावली का फवलो कत किया गया। प्रजावली का उपखण्ड रिकार्ड व वकील प्रजावली से राणीनामा के आचार पर वाद वकील डिकी किया जात है। इर्ण विकरण सहित निर्णय अलग से लिखा जाकर दाखिल कारील किया जाये। प्रजावली नम्बर के काम की जाकर जाड लक्ष्मीक व कर्षी ल जाकर दाखिल इकतर हो।</p>	<p>रणवीर J. by me Suth</p>

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

